



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE

पी.बी.नं.13, जी.एस.टी भवन, प्रेस क्लब रोड

P.B.No.13, G.S.T. BHAVAN, PRESS CLUB ROAD

तिरुवनंतपुरम , THIRUVANANTHAPURAM, 695001

www.cenexcisetvm.gov.in E-mail: thiruvan@nic.in फैक्स/Fax: 0471-2325252

टेलीफोन/Telephones 0471 - 2337040 /41/42/45/46, 2337552/2337553

प सं : II/22/10/2009 प्रशा.

दिनांक: 03/6/2020

### परिपत्र CIRCULAR

विषय: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना - वर्ष 2020-21 - संबंधित।

**Sub : Incentive Scheme for original Noting and Drafting in Hindi in office work - 2020-21 -Reg.**

\*\*\*\*\*

सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा आरंभ की जा रही वर्ष 2020-21 के लिए नकद पुरस्कार योजना केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम तथा तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू की जा रही है।

Incentive Scheme for doing Official Work in Hindi (Noting & Drafting) for the year 2020-21, issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi is implemented in Thiruvananthapuram Headquarters as well as in Divisional offices under Thiruvananthapuram Commissionerate.

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से संबंधित निम्न विवरण की ओर ध्यान दें Following details of the Incentive Scheme may be noted:


1. सभी श्रेणी के अधिकारी इस योजना में भाग ले सकते हैं।  
All categories of Officers are eligible to participate in this scheme.
2. इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए एक अधिकारी को वर्ष में सरकारी कामकाज में कम से कम 10000 शब्द हिंदी में लिखना होगा जैसे फाइलों में टिप्पण एवं आलेखन/ रजिस्ट्रों/बिलों को भरना आदि।  
An Officer participating in this scheme should write a minimum of 10000 words in a year in Hindi for official purpose like Noting & Drafting in files/ entries in Registers/ Bills etc.
3. प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक के समय को एक वर्ष माना जाएगा।  
For the purpose of the incentive scheme, the year is defined as a period of 12 months from 1st April to 31 March of the subsequent year
4. हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए पुरस्कारों के विवरण नीचे दिए गए हैं:  
Details of incentive for doing original Noting and Drafting in Hindi are given below:  
पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) First Prize (2 prizes) ₹ 5000 for each  
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) Second Prize (3 prizes) ₹ 3000 for each  
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) Third Prize (5 prizes) ₹ 2000 for each

5. प्रोत्साहन के लिए प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में विचार किया जाएगा।  
Application for incentive will be considered at the end of each financial year.
6. प्रतियोगी संलग्न प्रपत्र में अपने द्वारा लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे तथा उसपर अगले उच्च अधिकारी द्वारा स्त्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
- The competitors will maintain a record of the words written by them in the below proforma. The same will be verified and countersigned by the next higher officer. Application for incentive will be considered at the end of each financial year.

प्रपत्र PROFORMA

क्र सं Sl No	दिनांक Date	कुल फाइलों/ रजिस्ट्रों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया है Total No.of files & registers wherein work was done in Hindi	हिंदी में दिए गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या No.of words used in note/ draft written in Hindi	हिंदी में किए गए काम Other items of work done in Hindi		उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of senior officer
				संक्षिप्त ब्यौरा Brief description	शब्दों की संख्या No.of words	

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस प्रोत्साहन योजना में भाग लें।  
All Officers and Staff are requested to participate in the incentive scheme.



(एस. बालमुरली S. BALAMURALI)

सहायक आयुक्त ASSISTANT COMMISSIONER

To

- (1) मुख्यालय व मंडल कार्यालयों के सभी उप/सहायक आयुक्त  
The Deputy/ Assistant Commissioner Hqrs., / Division
- (2) मुख्यालय के सभी अनुभाग अध्यक्ष All section heads in Hqrs., Trivandrum
- (3) रेंज कार्यालयों के अधीक्षक All Superintendents in Range Offices